भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3210

(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर के लिए)

वेतन बढ़ने के पश्चात अगली वेतन वृद्धि

3210. श्री आनंद भदौरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, वेतन बढ़ने के बाद अगली वेतन वृद्धि के संबंध में, वरिष्ठ अधिकारी वेतन के पुन:निर्धारण की तिथि से आवश्यक अर्हक सेवा पूर्ण करने पर अगली वेतन वृद्धि का पात्र होगा;

(ख) यदि हां, तो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत उन मामलों में जहां केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 7, नोट 10 के तहत वेतन बढ़ाने की अनुमति दी गई है, वेतन बढ़ने की तिथि से अगली वेतन वृद्धि के लिए आवश्यक अर्हक अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 12452/2023 में यह निर्णय दिया है कि वेतन में बढ़ोतरी वैयक्तिक रूप से केवल वरिष्ठ कर्मचारी के लिए है ताकि कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा वरिष्ठ से अधिक वेतन प्राप्त करने के कारण उत्पन्न विसंगति को दूर किया जा सके और वेतन में बढ़ोतरी वरिष्ठ कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि की तिथि को प्रभावित नहीं करेगी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संदर्भ और मार्गदर्शन की सुविधा के लिए दिनांक 13.09.2022 को सरकारी सेवक के वेतन नियतन संबंधी सूचनाप्रद दस्तावेज जारी किया है। डीओपीटी के दिनांक 26.10.2018 के का.ज्ञा.सं. 4/3/2017-स्थापना (वेतन-I) के पैरा 2(ii) के अनुसार, जैसा कि दिनांक 13.09.2022 के पूर्वोक्त दस्तावेज में भी निहित है, वरिष्ठ अधिकारी अपेक्षित अर्हक सेवा पूर्ण करने पर वेतन के पुन: नियतन की तिथि से वेतन में वृद्धि के बाद अगली वेतन वृद्धि के लिए हकदार होंगे।

(ख) : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग संबंधी वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख, केन्द्रीय सिविल सवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत शासित होती है, जिसका उद्धरण इसके साथ संलग्न किया गया है।

(ग) : रिट याचिका (सिविल) सं. 12452/2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 05.10.2023 का निर्णय, सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है और यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.delhihighcourt.nic.in/web/>CaseStatus) पर उपलब्ध है।

(घ) : रिट याचिका (सिविल) सं. 12452/2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 05.10.2023 के निर्णय को मामले के आवेदक के संबंध में कार्यान्वित किया गया है।

<u>संलग्नक</u>

दिनांक 11.03.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3210 के इनपुट में संदर्भित केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 का नियम 10

10. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन-वृद्धि की तारीख -

"(1) वेतन-वृद्धि देने के लिए 1 जुलाई की मौजूदा तिथि की बजाय हर साल दो तिथियां होंगी, अर्थात 1 जनवरी और 1 जुलाई:

बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की तिथि के आधार पर 1 जनवरी या 1 जुलाई को सिर्फ़ एक वार्षिक वेतन-वृद्धि हेतु पात्र होगा।

(2) 2 जनवरी और 1 जुलाई (दोनों शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त या पदोन्नत किए गए संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के तहत उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन प्रदान किए गए कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि, 1 जनवरी को दी जाएगी और 2 जुलाई और 1 जनवरी (दोनों शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त या पदोन्नत हुए या एमएसीपीएस के तहत उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन, प्रदान किए गए कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि, 1 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

(क) 2 जुलाई, 2016 और 1 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि के दौरान सामान्य पदानुक्रम में या एमएसीपीएस के तहत नियुक्त या पदोन्नत किए गए कर्मचारी के मामले में, पहली वेतन-वृद्धि 1 जुलाई, 2017 को अर्जित होगी और उसके बाद यह एक साल बाद वार्षिक आधार पर अर्जित होगी।

(ख) 2 जनवरी, 2016 और 1 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि के दौरान सामान्य पदानुक्रम में या एमएसीपीएस के तहत नियुक्त या पदोन्नत किए गए कर्मचारी, जिसने 1 जुलाई, 2016 को कोई वेतन-वृद्धि आहरित नहीं की है, के मामले में अगली वेतन-वृद्धि 1 जनवरी, 2017 को अर्जित होगी और उसके बाद यह वार्षिक आधार पर एक वर्ष बाद अर्जित होगी:

बशर्ते कि जिन कर्मचारियों का वेतन, संशोधित वेतन संरचना में 1 जनवरी को नियत किया गया है, उसे उस लेवल, जिसमें 1 जनवरी, 2016 को ऐसा वेतन नियत किया गया था, में अगली वेतन-वृद्धि 1 जुलाई, 2016 को अर्जित होगी।

बशर्ते कि यह और कि, 1 जुलाई, 2016 को वेतन-वृद्धि आहरित करने के बाद अगली वेतन-वृद्धि 1 जुलाई, 2017 को अर्जित होगी।

(3) जहां पदानुक्रम में दो मौजूदा ग्रेड को आमेलित किया जाता है और निचले ग्रेड में कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी को संशोधित वेतन संरचना में सदृश लेवल में वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन की तुलना में ज़्यादा वेतन मिलने लगता है, तो वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन में उसी तिथि से उसके कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर वेतन वृद्धि की जाएगी और वह इस नियम के अनुसार अगली वेतन-वृद्धि आहरित करेगा।"